राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 938–तीन/14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.15	यह निगरानी प्रकरण लोक अदालत के समक्ष सुनवायी हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष के विव्दान अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। 2/ आवेदक ने ग्राम गांगुली जिला शिवपुरी स्थित अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 9, 16, 17, तथा 18 कुल किता 4 कुल रकबा 1.74 हेक्टर के विकय की अनुमति इस आधार पर चाही है कि प्रश्नाधीन भूमि ऊबड़–खावड़, पथरीली तथा असिंचित है और पानी भी बहुत गहराई में है, इसलिये लागत लगाने के बाद भी पर्याप्त फसल का लाभ नहीं मिल पाता है, इस कारण आवेदकगण इस भूमि को विकय कर ग्राम बम्हारी में 5 बीघा जमीन खरीदना चाहता है। 3/ उक्त परिस्थिति में आवेदक को न्यायहित में ग्राम गांगुली जिला शिवपुरी की भूमि सर्वे क0 9, 16, 17 तथा 18 कुल किता 4 कुल रकबा 1.74 हे0 विकय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है– 1. यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाइड लाईन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हों।	

2. आवेदक व्दारा जितनी भूमि विक्रय की जा रही है, कम से कम उतनी भूमि उसके व्दारा क्रय की जायेगी।
3. आवेदक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय और क्रय की जाने वाली भूमि के विक्रयपत्रों का पंजीयन उप–पंजीयक व्दारा एक ही दिन एक साथ किया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा पूर्व में जिस व्यक्ति से भूमि का विक्रय अनुबंध किया गया है, उसी को भूमि का विक्रय किया जाय ।

4/ उपरोक्तानुसार निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। आयुक्त, ग्वालियर संभाग का अपील प्र0क0 81/13–14 में पारित आदेश दिनांक 17–02–14 तथा अपर कलेक्टर, शिवपुरी का आदेश दिनांक 21–01–14 निरस्त किये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जाय तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(मुकेश बेलापुरकर)
सदस्य
लोक अदालत

(एम0के0सिंह)
अध्यक्ष
लोक अदालत

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R 938-III/14

धनीराम पुत्र चतरा वाल्मीक निवासी ग्राम गांगुली तहसील व जिला शिवपुरी म..प्र.

....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ... अनावेदक

दिनांक 19.3.14 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत/ 19.3.14

19-3-14

शाखा प्रभारी (...) कार्यालय महाधिवक्ता, ...

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 81/ 2013– 14 /अपील में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 के विरूद्व निगरानी समयावधि मे प्रस्तुत है ।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम गांगुली जला शिवपुरी में सर्वे क्रमांक 9 सर्वे क्रमांक 16, सर्वे क्रमांक 17 , सर्वे क्रमांक 18 कुल सर्वे 4 कुल रकवा 1.74 हेक्टर भूमि पैत्रक है जिसे आवेदक विक्रय करना चाहता है उसके बदले में ग्राम बम्हारी में 5 बीघा भूमि क्रय करना चाहता है उक्त भूमि से आवेदक को फसल का लाभ प्राप्त नही हो पाता है , उक्त भूमि असिंचित होकर अनुपजाऊ है इस कारण आवेदक द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष धारा 165 (7) म.प्र. भू राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया ।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को